

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2019-आषाढ़ 7, शक 1941

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश

पन्ना, दिनांक 18 जून 2019

क्रमांक -391-डी.यू.डी.ए.-प्रकाशन-2019.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद् द्वारा, नीचे दी गई सारणी में वर्णित नगर परिषद् गुनौर हेतु गठित वार्डों की संख्या अवधारित करती है :-

### सारणी

| स.क्र.<br>(1) | जिला<br>(2) | तहसील<br>(3) | नगर परिषद् का नाम<br>(4) | निर्धारित वार्डों की संख्या<br>(5) |
|---------------|-------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1             | पन्ना       | गुनौर        | गुनौर                    | 15                                 |

## // प्रारम्भिक प्रकाशन //

मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2018 प्रकाशित कर मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा 1 के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये ग्राम पंचायत गुनौर, सिल्ली, पडेरी को मिलाकर नगर परिषद गुनौर का गठन किया गया है।

उपरोक्त अनुक्रम में वार्डों की सीमाओं का निर्धारण किया जाकर वार्डों की संख्या का निर्धारण कर अधिसूचना का प्राथमिक प्रकाशन किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 02/एफ-1-04/2019/18-3 भोपाल दिनांक 23 फरवरी 2019 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37,1961) की धारा 5-क को उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा नगर परिषद गुनौर जिला पन्ना मध्यप्रदेश की चतुरसीमा अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है।

अनुसूची-एक के परिभाषित क्षेत्र के कोई भी स्थानीय प्राधिकारी व्यक्ति अथवा निवासी को यदि उसमें अतिरिक्त किसी बात से आपत्ति हो तो इस अधिसूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति लिखित में कलेक्टर जिला पन्ना मध्यप्रदेश को प्रस्तुत कर सकेगा प्राप्त आपत्तियों पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा।

### अनुसूची -एक

#### नगर परिषद गुनौर के वार्डों की निर्धारित सीमाओं का विवरण

| क्रमांक | तहसील | ग्राम का नाम | वार्ड का नाम | सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण   |
|---------|-------|--------------|--------------|--|
| 1       | गुनौर | पडेरी        | 01           | उत्तर में - पूर्व-पश्चिम पर्वत सिंह यादव के मकान से रामप्रसाद नामदेव के मकान तक।<br>पूर्व में - उत्तर-दक्षिण पर्वत सिंह यादव के मकान से तार बाबू के मकान से होते हुये लुधियाना मोड़ गीता बाई लोधी के मकान तक।<br>दक्षिण में - पूर्व-पश्चिम लुधियाना मोड़ गीता बाई लोधी के मकान से रामरती लोधी के मकान तक।<br>पश्चिम में - उत्तर-दक्षिण रामप्रसाद नामदेव के मकान से रामरती लोधी के मकान तक। |
|         |       |              | 02           | उत्तर में - पूर्व-पश्चिम लखुआ चौधरी के मकान से पुट्टी कुशवाहा के मकान तक।<br>पूर्व में - उत्तर-दक्षिण लखुआ चौधरी के मकान से रामप्रसाद नामदेव के मकान से होते हुये रामरती लोधी के मकान तक।<br>दक्षिण में - पूर्व-पश्चिम रामरती लोधी के मकान से कमलेश लोधी के मकान तक।<br>पश्चिम में - उत्तर-दक्षिण पुट्टी कुशवाहा के मकान से कमलेश लोधी के मकान तक।   |
|         |       |              | 03           | उत्तर में - पूर्व-पश्चिम विश्वनाथ चौधरी के मकान से लखुआ चौधरी के मकान तक।<br>पूर्व में - उत्तर-दक्षिण विश्वनाथ चौधरी के मकान से पर्वत सिंह यादव के मकान तक।<br>दक्षिण में - पूर्व-पश्चिम पर्वत सिंह यादव के मकान से झुर्रा दहायत के मकान तक।<br>पश्चिम में - उत्तर-दक्षिण लखुआ चौधरी के मकान से झुर्रा दहायत के मकान तक।   |

|   |       |    |  |
|---|-------|----|--|
| 2 | सिली  | 04 | <p>उत्तर में - पूर्व-पश्चिम में अर्जुन ताल से माधव सिंह यादव के मकान नचनौरा रोड तक।</p> <p>पूर्व में - उत्तर-दक्षिण अर्जुन ताल से कटन रोड सिली तिराहा तक।</p> <p>दक्षिण में - पूर्व-पश्चिम कटन रोड सिली तिराहा से नर्वदा प्रसाद के मकान से होते हुये बारेलाल चौधरी के मकान तक।</p> <p>पश्चिम में - उत्तर-दक्षिण माधव सिंह यादव के मकान नचनौरा रोड से बारेलाल चौधरी के मकान तक।</p>                       |
|   |       | 05 | <p>उत्तर में - पूर्व-पश्चिम बराछ रोड मुख्य मार्ग बारेलाल चौधरी के मकान से रामकुमार लोधी के मकान तक।</p> <p>पूर्व में - उत्तर-दक्षिण बराछ रोड मुख्य मार्ग बारेलाल चौधरी के मकान से सुन्दरलाल चौबे की कृषि भूमि तक।</p> <p>दक्षिण में - पूर्व-पश्चिम सुन्दरलाल चौबे की कृषि भूमि से राकेश पाल के मकान तक।</p> <p>पश्चिम में - उत्तर-दक्षिण में रामकुमार लोधी के मकान से राकेश पाल के मकान तक।</p>          |
|   |       | 06 | <p>उत्तर में - पूर्व-पश्चिम रामसेवक रावत के मकान से बडी तलैया तक।</p> <p>पूर्व में - उत्तर-दक्षिण रामसेवक रावत के मकान से तहसील कार्यालय होते हुये अनंदीलाल यादव के मकान तक।</p> <p>दक्षिण में - पूर्व-पश्चिम अनंदीलाल यादव के मकान से संतोष सिंह यादव के मकान तक।</p> <p>पश्चिम में - उत्तर-दक्षिण बडी तलैया से संतोष सिंह यादव के मकान तक।</p>   |
|   |       | 07 | <p>उत्तर में - पूर्व-पश्चिम कटन रोड गोविन्द धाम से कमला कान्त तिवारी की कृषि भूमि तक।</p> <p>पूर्व में - उत्तर-दक्षिण कटन रोड गोविंद धाम से रामाधार नामदेव के मकान शाला रोड तक।</p> <p>दक्षिण में - पूर्व-पश्चिम रामाधार नामदेव के मकान शाला रोड से तहसील कार्यालय तक।</p> <p>पश्चिम में - उत्तर-दक्षिण कमला कान्त तिवारी की कृषि भूमि से तहसील कार्यालय तक।</p>   |
| 3 | गुनौर | 8  | <p>उत्तर में - पूर्व-पश्चिम अच्छेलाल कोरी के मकान से बस स्टैण्ड गुनौर तक।</p> <p>पूर्व में - उत्तर-दक्षिण अच्छेलाल कोरी के मकान से राजू रैकवार अमानगंज मुख्य मार्ग तक।</p> <p>दक्षिण में - पूर्व-पश्चिम राजू रैकवार अमानगंज मुख्य मार्ग से तिलकराज सिंह के मकान हरद्वाही रोड तक।</p> <p>पश्चिम में - उत्तर-दक्षिण में बस स्टैण्ड से तिलकराज सिंह के मकान हरद्वाही रोड तक।</p>                            |
|   |       | 9  | <p>उत्तर में - पूर्व-पश्चिम कन्या हाई स्कूल कटन रोड से गोविन्द धाम आश्रम कटन रोड तक।</p> <p>पूर्व में - उत्तर-दक्षिण कन्या हाई स्कूल कटन रोड से बेला तालाब की पार तक।</p> <p>दक्षिण में - पूर्व-पश्चिम बेला तालाब की पार से अशोक मिश्रा की कृषि भूमि होते हुये गुन्नु सागर तालाब की पार तक।</p> <p>पश्चिम में - उत्तर-दक्षिण में गोविन्द धाम कटन रोड से थाना परिसर होते गुन्नु सागर तालाब की पार तक।</p> |
|   |       | 10 | <p>उत्तर में - पूर्व-पश्चिम में दयाशंकर सोनी के मकान से थाना गुनौर तक।</p> <p>पूर्व में - उत्तर-दक्षिण में दयाशंकर सोनी के मकान से गुन्नुसागर तालाब की पार तक।</p> <p>दक्षिण में - पूर्व-पश्चिम गुन्नु सागर तालाब की पार से नरेन्द्र जैन के</p>  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | मकान तक।<br>पश्चिम में - उत्तर-दक्षिण में थाना गुनौर से नरेन्द्र जैन के मकान तक।   |
| 11 |  |  | उत्तर में - पूर्व-पश्चिम बेला तालाब की पार से नरेन्द्र जैन एवं कन्ठेदी दहायत के मकान से होते हुये अमानगंज मुख्यमार्ग राजू रैकवार के मकान तक।<br>पूर्व में - उत्तर-दक्षिण बेला तालाब की पार से कृष्ण कुमार पाठक के मकान शाला रोड तक।<br>दक्षिण में - पूर्व-पश्चिम कृष्ण कुमार पाठक के मकान शाला रोड से श्री निवासी पटेल के मकान से होते हुये अमानगंज मुख्यमार्ग बंदी पटेल के मकान तक।<br>पश्चिम में - उत्तर-दक्षिण अमानगंज मुख्यमार्ग (राजू रैकवार के मकान से बंदी पटेल के मकान तक) |
| 12 |  |  | उत्तर में - पूर्व-पश्चिम प्राथमिक शाला खिरवा से मोहन लाल पटेल के मकान तक।<br>पूर्व में - उत्तर-दक्षिण प्राथमिक शाला खिरवा से मुलुवा चौधरी के मकान तक।<br>दक्षिण में - पूर्व-पश्चिम मुलुवा चौधरी के मकान शाला रोड से मुलैया चौधरी के मकान तक।<br>पश्चिम में - उत्तर-दक्षिण मोहन लाल पटेल के मकान से चन्द्रशेखर खम्परिया के मकान से होते हुये मुलैया चौधरी के मकान तक।   |
| 13 |  |  | उत्तर में - पूर्व-पश्चिम कृष्ण कुमार पाठक के मकान शाला रोड से श्यामलाल पटेल के मकान से होते हुये डिघौरा रोड तक।<br>पूर्व में - उत्तर-दक्षिण कृष्ण कुमार पाठक के मकान शाला रोड से श्री निवास पटेल के मकान रिछौड़ा रोड तक।<br>दक्षिण में - पूर्व-पश्चिम श्री निवास पटेल के मकान रिछौड़ा रोड से स्टेडियम तक।<br>पश्चिम में - उत्तर-दक्षिण डिघौरा रोड से स्टेडियम तक।  |
| 14 |  |  | उत्तर में - पूर्व-पश्चिम भागीरथ अवधिया के मकान अमानगंज रोड से ठाकुरदीन पटेल के मकान अमानगंज रोड तक।<br>पूर्व में - उत्तर-दक्षिण भागीरथ अवधिया के मकान अमानगंज रोड से डिघौरा रोड होते हुये स्टेडियम तक।<br>दक्षिण में - पूर्व-पश्चिम स्टेडियम से जीवन लाल पटेल के मकान तक।<br>पश्चिम में - उत्तर-दक्षिण ठाकुरदीन पटेल के मकान अमानगंज रोड से जीवन लाल पटेल के मकान तक।  |
| 15 |  |  | उत्तर में - पूर्व-पश्चिम अशोक तिवारी के मकान से कृषि भूमि होते हुये रघू भूमिया के मकान छिगम्मा भटवा तक।<br>पूर्व में - उत्तर-दक्षिण अशोक तिवारी के मकान से माध्यमिक शाला तक।<br>दक्षिण में - पूर्व-पश्चिम माध्यमिक शाला से कृषि भूमि होते हुये लखुआ चौधरी के मकान छिगम्मा भटवा तक।<br>पश्चिम में - उत्तर-दक्षिण रघू भूमिया के मकान छिगम्मा भटवा से लखुआ चौधरी के मकान तक।  |

हस्ता./-  
(कर्मवीर शर्मा)

कलेक्टर,

पन्ना, जिला पन्ना मध्यप्रदेश